राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक/राजस्व/2024/3963 दिनांक :– 24/12/2024

आदेश

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मौजा बुठिया के खातेदारी खसरा संख्या 898/782, 838/428 रकबा क्रमशः 5.0707, 5.0667 किस्म बा.सो में से रकबा 0.2287, 0.2233 हेक्टयर एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में रास्ते का अंकन नही है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार A व D अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क्र. स.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा हेक्टयर	किस्म	रस्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टयर में।	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हेक्टयर
1	रामदेव मंदिर	898/782	5.0707	बा.सो.	0.2287	4.8420
		838/428	5.0667	बा.सो.	0.2233	4.8434

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मोके पर स्थायी रूप से चल रहे कदीमी/बारहमासी रास्ता जो हर मौसम/ऋतु के अनुसार बदलता नही है एवं वर्ष भर आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध रहता है जो वर्तमान में चालु है तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में भी रास्ते हेतु उपयोग हेतु ली जा रही है।

अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानसुार प्रस्ताव संलग्न नक्शें में A से D तक निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शें व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर संलग्न नक्शें में A से D तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

क्रमांक : रीडर/2024/3964-65 दिनांक 24/12/24

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर
2. पटवारी हल्का बुठिया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर